27.41 लाख रुपए गबन कर फरार हुआ लोक सेवा केन्द्र का संचालक गिरफ्तार

❒ कोतवाली पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। कोतवाली पुलिस ने करीब दो माह से फरार गबन के आरोपी मुकेश शर्मा निवासी गेरवानी को 13 अक्टूबर के दोपहर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी मुकेश शर्मा व एक अन्य आरोपिया चमेली सिदार के विरूद्ध 27.41 लाख रूपये गबन किये जाने की रिपोर्ट मधुबनपारा रायगढ में रहने वाले शशांक शेखर सिंह (38 साल) द्वारा कल 27 जुलाई 2023 को थाना कोतवाली में आवेदन देकर दर्ज कराया गया था। अपराध दर्ज के बाद से आरोपी फरार था।

रिपोर्टकर्ता शशांक शेखर ने बताया कि इसकी वे वर्ल्ड कंपनी द्वारा प्रतिदिन रकम- सेवा केन्द्रों के संचालकों को अंतरित की जाती थी। सेवा केन्द्रों के संचालकों द्वारा लाभार्थियों से प्राप्त शुल्क व रकम प्रतिदिन फर्म "वे वर्ल्ड कंपनी" को वापस करना होता था।

कंपनी ने " सेवा केन्द्र गेरवानी " रायगढ़ में स्थापित किया गया है। जिसका संचालन मुकेश शर्मा गेरवानी द्वारा किया जाता था। गेरवानी सेवा केन्द्र के संचालक मुकेश शर्मा 09 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 96,60,455 / - रुपये व्यापार हेतु अंतरित किया है , जिसमें से मुकेश शर्मा द्वारा 69,19,016 /- रूपये वापस किया गया है। शेष शेष रकम 27,41,439 / - रूपये वापस नहीं किया। मुकेश शर्मा से रकम की मांग करने पर उसने बताया कि उसने एक प्रतिशत प्रतिदिन ब्याज की दर पर कंपनी की रकम को चमेली सिदार को दे दिया है। चमेली सिदार से मिलकर जानकारी लेने पर रकम प्राप्त करना और जल्द ही रकम वापस करने का आश्वासन दी पर दोनो रकम वापस नहीं किये। थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों पर धारा 409, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों घटना के बाद से फरार थे। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिये मुखबिर व स्टाफ को लगा रखे थे कि 13 अक्टूबर के दोपहर मुखबिर सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी मुकेश शर्मा पिता सुरेश शर्मा उम्र 26 वर्ष साकिन विजयनगर गेरवानी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को हिरासत में लिया। आरोपी मुकेश शर्मा ने पूछताछ में आरोपिया चमेली सिदार से मिलकर रकम गबन करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपिया चमेली सिदार फरार है। आरोपी मुकेश शर्मा की पतासाजी व गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, दिलीप भानु और आरक्षक भगवती रत्नाकर की अहम भूमिका रही है।

चुनाव से पहले थाना प्रभारियों ने ली निगरानी और गुंडा बदमाशों की क्लास, अपराध से दूर रहने की दी गई समझाइश

रायगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा सुरक्षा व शांति व्यवस्था सहित नवरात्र, दशहरा पर्व के मद्देनजर समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र के निगरानी, गुंडा बदमाशों को थाने बुलाकर उन्हें आचार संहिता का पालन करने और अपराधों से दूर रहने की समझाइश देने निर्देशित किया गया है।

निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव तथा चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक सौरभ द्विवेदी द्वारा क्षेत्र के निगरानी, गुंडा बदमाशों सहित आपराधिक तत्वों को थाना हाजिर कराया गया। थाना प्रभारियों ने उन्हें जिले में आचार संहिता के प्रभावशील होने की जानकारी दिया गया और समझाइश दी गई कि वे अपराध से दूर रहकर शांतिपूर्वक जीवनयापन करें। पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है वे तत्काल उपस्थित होंगे। जिन बदमाशों में सुधार देखा जायेगा उनके नाम सूची से हटाने एसपी महोदय को पत्राचार करेंगे और जो सक्रिय पाये गये उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

जमीन का सौदा कर 61 लाख की ठगी, भाई-बहन के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। जमीन का सौदा तय कर 61 लाख रुपए लेने और रजिस्ट्री नहीं करवाने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने भाई-बहन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी राजकुमार थावरानी 49 वर्ष बहतराई चौक सरकंडा का रहने वाला है। प्रार्थी ने टाटीबंध स्थित जमीन को खरीदने के लिए आरोपी नवल किशोर व उसकी बहन रामप्यारी देवी अग्रवाल से सौदा तय किया। सौदा तय होने के बाद आरोपियों ने इकरार नाम बनाकर प्रार्थी से 61 लाख रुपए आहरण कर लिया। जब प्रार्थी ने रजिस्ट्री के लिए कहा, तो आरोपियों ने टाल मटोल शुरू कर दिया। जिससे प्रार्थी ने अपना पैसा वापस मांगा। पैसे वापस नहीं देने पर प्रार्थी ने इसकी शिकायत आमानाका थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दो बाइक आपस में टकराई, एक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम साखरा में दो बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मामले में नेवरा पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक टीकाराम साहू 40 वर्ष ग्राम लखना का रहने वाला था। बताया जाता है कि कल शाम वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक क्रमांक सीजी 04 एलयू 0729 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टीकाराम को टक्कर मार दिया। जिससे टीकाराम की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

कपड़ा गोदाम से हजारों रुपए का सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। दिनदयाल चौक स्थित कपड़ा गोदाम का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने हजारों रुपए का कपड़ा पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर नेवरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी राहुल विधानी 30 वर्ष सिंधी कैंप तिल्दा का रहने वाला है। बताया जाता है कि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के दिनदयाल चौक स्थित कपड़ा गोदाम का ताला तोडक़र अंदर से 55 नग कुर्ती सूट पार कर दिया। चोरी गए कपड़ों की कीमत 35700 रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर नेवरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

कलेक्टर की फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश

बालोद (आरएनएस)। जिले में ठगी का मामला सामने आया है. कलेक्टर कुलदीप शर्मा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने की कोशिश की गई है. दल्लीराजहरा के व्यापारी और छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के उपाध्यक्ष स्वाधीन जैन से मैसेंजर में चैटिंग कर सीआरपीएफ के आधकारी का पुराना समान और फॉरच्यूनर बेचने की जरूरत बताई. मामले में ठगी का शिकार होने से पहले ही सतर्कता दिखाते हुए व्यापारी ने पहले तो एकाउंट को चैक किया. जिससे पता चला कि फर्जी आईडी 6 दिन पहले ही बनी है और जिले के कलेक्टर पुराने हैं. जिसके बाद व्यापारी ने पूरी घटना की जानकारी कलेक्टर कुलदीप शर्मा को दे दी है. जिससे वह साइबर ठगी का शिकार होने से बच गया.

आबकारी विभाग ने जंगल में नष्ट किया अवैध शराब का बड़ा अड्डा

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आगामी विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी द्वारा अवैध शराब पर कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश के परिपालन में आचार संहिता प्रारंभ होने के पश्चात आज आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। वृत्त सारंगढ प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक विकास पाल सांडे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की लात नदी के किनारे गुड़ेली के जंगलों में भारी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही आबकारी अमला नाव से नदी पार कर जंगल पहुँचा जहाँ दस लीटर क्षमता वाले 09 पॉलीथिन में भरी हुई 90 लीटर महुआ शराब, 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी में भरी हुई 15 लीटर महुआ शराब और प्लास्टिक बोरी के अंदर ब्लाडरनुमा पॉलीथिन में भरी हुई 20 लीटर महुआ शराब समेत कुल 125 लीटर महुआ शराब (कीमत 25000 रुपए) और 40 प्लास्टिक बोरियों में से प्रत्येक में 25-25 किलोग्राम महुआ लाहन समेत कुल 1000 किलोग्राम महुआ लाहन (कीमत 50000 रुपए) बरामद हुआ, इसके साथ ही अवैध शराब निर्माण की सामग्री भी जप्त की गई।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी किए 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रविवार को नवरात्र के पहले दिन राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने 30 सीटों पर प्रत्याशियों का एलान किया है. कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को अंबिकापुर से टिकट दिया है.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जय सिंह अग्रवाल और सक्ती से डॉ. चंदन दास महंत को प्रत्याशी बनाया है. अरंग से कांग्रेस ने शिवकुमार दहरिया, डोंडी लोहरा से अनिला भेंडिया, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकांत चंद्रवंशी, कर्वधा से मोहम्मद अकबर, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा और डोंगागढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया है.

इसके साथ ही पार्टी ने चित्रकोट से सांसद दीपक बैज को टिकट दिया है. कांग्रेस ने राजनंदगांव से गिरिश देवांगन, डोंगार गांव से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोला राम साहू, मोहला मानपुर से इंद्रशाह मंडावी, अंतागढ़ से रुप सिंह पोटई, भानुप्रतापपुर से सवित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाल से संतराम नेताम, कोंडागांव से मोहन लाल मरकाम और नारायणपुर से चंदन कश्यप को उम्मीदवार बनाया है. बस्तर से लखेश्वर बघेल, दंतेवाड़ा से के. छविंद्र महेंद्र कर्मा, बीजापुर से विक्रम मंडावी और कोंटा से कवासी लखमा को टिकट मिला है.

प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतक्रिया दी. सीएम ने लिखा- 'छत्तीसगढ़ महतारी का मिला आशीर्वाद अब क्षेत्र की जनता भी देगी आशीर्वाद विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज नवरात्रि के प्रथम दिन, शुभ अवसर पर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है. सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ. पाटन विधानसभा से पुनः मौक़ा देने के लिए नेतृत्व का आभार.

17 को कांग्रेस की बैठक के बाद जारी होगी दूसरी सूची-

नवरात्रि की आगाज के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। अब दूसरी सूची 18 अथवा 20 अक्टूबर को जारी होगी। इसके पूर्व 17 तारीख को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद आलाकमान से सूची जारी होगी।

चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब पर एक और बड़ी कार्यवाही, एकताल बेरियर पर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा

❒ मोटरसाइकिल पर ओड़िसा की अंग्रेजी शराब रायगढ़ ला रहा आरोपी गिरफ्तार

❒ आरोपी से मोटरसाइकिल, 48 नग बीयर, 8 बॉटल और 21 पाव अंग्रेजी शराब जब्त

रायगढ़। कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर इंटरस्टेड बैरियर पर स्थौतिक दल (SST Team) कड़ी निगरानी कर रही है जिससे दिगर प्रांत से मादक पदार्थों का जिले में लाना तस्करों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर ने ओड़िसा सीमा से सटे गांव में मुखबिर सक्रिय कर जिले में प्रवेश करने वाले अंदरूनी मार्गों में भी थाने के स्टाफ को निगाह रखने लगा रखा है। इसी क्रम में आज दिनांक 15/10/2023 के दोपहर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक होंडा साइन मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर रायगढ़ के लिए निकाला है। थाना प्रभारी ने तत्काल क्षेत्र के एकताल बेरियर स्टाफ (एसएसटी टीम) को चौकन्ना किये साथ ही अपने थाने के पेट्रोलिंग को अंदरुनी रास्तों पर निगाह रखने निर्देशित किया। इसी दरम्यान एकताल बैरियर पर चक्रधरनगर स्टाफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल में शराब तस्करी करते पकड़ा। शराब तस्कर आरोपी राहुल जायसवाल के पास शराब परिवहन का कोई वैध दस्तावेज नहीं थे मौके पर बरामद की पंचनामा तैयार कर आरोपी के कब्जे से ओड़िसा में बिक्री की जाने वाली – 48 नग बीयर, 8 बॉटल और 21 पाव अंग्रेजी शराब कीमत करीब 25,000/- रूपये एवं होण्डा साईन वाहन क्र0 CG 13 AM 6196 को जप्त किया गया है। आरोपी राहुल जायसवाल पित ओम प्रकाश जायसवाल उम्र 38 वर्ष सा0 दोहरीघाट भगवानपुरा थाना दोहरी घाट जिला यदु (UP) हा0मु0 ईलामाल टाकीज के पास मंगलुडीपा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59 (क) के तहत कार्यवाही किया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय, आरक्षक सुशील मिंज, चंद्र कुमार बंजारे और अभय नारायण की अहम भूमिका रही है।

तमनार पुलिस ने पकड़ा 100 लीटर अवैध महुआ शराब, आरोपी को आबकारी एक्ट में भेजा गया जेल

रायगढ़। क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को लेकर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा मुखबिर सक्रिय कर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 15.102.2023 के सुबह थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को मुखबिर से सूचना मिली कि मिलूपारा सीतापुर में चैतन राठिया नाम का व्यक्ति अपने घर आंगन में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। तत्काल थाना प्रभारी ने देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुए स्टाफ को जाकर कार्यवाही का निर्देश दिया गया। तमनार पुलिस टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर शराब रेड के लिए चैतन राठिया के निवास पर पहुंची। चैतन राठिया द्वारा शराब बिक्री से साफ इंकार किया जिसे पुलिस टीम द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी चैतन राठिया ने अवैध रूप से शराब बनाना और बिक्री करना स्वीकार किया जिसके कब्जे से शराब बनाने के पात्र तथा 20 और 10 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बे और वाहन के टायर ट्यूब में भरकर रखा हुआ कुल 100 लीटर महुआ शराब कीमती रु. 20000 का जप्त किया गया है। आरोपी आरोपी चैतन राठिया पिता स्व0 कमल सिंह राठिया उम्र 50 वर्ष सा0 मिलूपारा सीतापुर थाना तमनार पर थाना तमनार में धारा 34(2) 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, महिला प्रधान आरक्षक उषा रानी तिर्की, आरक्षक भीष्मदेव सागर और आरक्षक भानु प्रताप चंद्रा की सराहनीय भूमिका रही है।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने निर्वाचन में प्रतिदिन की गतिविधियां के संबंध में ली बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों, सीईओ, सीएमओ, डीईओ, बीईओ सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभावार किये गए तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले के सभी विधानसभा के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। रिटर्निंग अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधानसभावार चुनाव कार्य संबंधी तैयारियों की विस्तृत जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई।

बैठक में कलेक्टर ने विधानसभावार मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक सुरक्षित पहुंचाने एवं सुरक्षित वापसी हेतु बनाए गए रूट चार्ट, मतदान केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएं, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, प्रेक्षकों के लिये लाईजिनिंग अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके लिये जरूरी व्यवस्थाओं, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, चेक पोस्ट की स्थापना, निर्वाचन कार्य हेतु वाहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए अन्य जरूरी व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर टी आर माहेश्वरी, पंचायत नोडल हरिशंकर चौहान, समस्त सीईओ, सीएमओ सहित बीईओ के अलावा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

ट्रेनों की कोच में दी गई आधुनिक सुविधा : आग और धुएं को डिटेक्ट कर यात्रियों को करेगा सतर्क

कोरबा (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने सभी एसी कोच में फायर स्मोक डिटेक्शन व सप्रेशन प्रणाली से लैस कर लिया है। इससे ट्रेन में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने में सफलता मिलेगी। कोरबा से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस व शिवनाथ पैसेंजर कम एक्सप्रेस समेत 415 एसी कोच व 50 पावर कारों में सिस्टम लगाया गया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसईसीआर द्वारा यात्रियों की सुविधाए सुरक्षा और बेहतरीन यात्रा अनुभव के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत एसईसीआर के सभी एसी कोच में फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत लगभग आठ.11 स्मोक सेंसर लगाए गए हैं, जो कोच के शौचालयों के गैंगवे एरिया और कोच के अंदर उपयुक्त स्थान पर लगे हैं। स्मोक डिटेक्शन एक

लूप में कंट्रोल माड्यूल से जुड़ा होता है। आग लगने की स्थिति में यह कंट्रोल माड्यूल आडियो विजुअल साउंड अलार्मए लाइट इंडिकेटरए प्रीलोडेड घोषणा के लिए पीए सिस्टम और ब्रेक का स्वचालित रूप से कार्यरत हो जाएगा तथा ट्रेन को रोककर और यात्रियों को सतर्क करने में मदद करता है।

यहीं नहीं एसईसीओआर में ट्रेनों के पावर कार एवं पैंट्रीकार में भी एडवांस फायर एंड स्मोक डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम के तहत एस्पीरेशन एवं हीट टाइप फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सेंसर्स, सप्रेशन आउटलेट, पीएलसी पैसेंजर अलार्म बजर आदि उपकरण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एसी कोचों में धूरमपान करने वाले भी चिन्हित किए जा सकते हैं । ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे धूमपान करने वालों से सहयात्रियों को दिक्कत होती है तथा ट्रेनों में आगजनी की घटना होने की संभावना रहती है। अब चलती ट्रेनों में धूमपान से और धुंआ उठते ही अलार्म अलर्ट कर देगा । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पहले पेंट्रीकार से गैस के सिलेंडर हटाया जा चुका है।

ट्रेनों के पावर कार एवं पैंट्रीकार में फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगने से आने वाले दिनों में ट्रेन के अंदर आग लगने से पहले ही फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से अलार्म बजने लगेगा। इससे, आग पर समय रहते काबू कर लिया जाएगा। धुंआ, चिंगारी या आग का संकेत मिलते ही सिस्टम में लगे सेंसर सक्रिय हो जाएगा, अलार्म बजने के साथ दोनों सिलेंडर क्रियाशील होकर प्रेशर बनाने लगेंगे। कुछ देर में नाइट्रोजन और पानी का मिश्रण पाइपों में प्रवाहित होने लगेगा। दबाव बढ़ते ही वाल्व खुल जाएगा और नाइट्रोजन मिश्रित पानी का बौछार शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आग बुझाने पर काबू कर लिया जाएगा ।

वर्तमान में यह फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम बिलासपुर. नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस, बिलासपुर . पटना एक्सप्रेस, बिलासपुर. पुणे एक्सप्रेस के साथ जनशताब्दी समेत एसईसीआर की 28 जोड़ी ट्रेनों के एसी कोचों में लगाया जा चुका है। इसमें बिलासपुर मंडल की 14 जोड़ी, रायपुर मंडल की 13 जोड़ी एवं नागपुर मंडल की एक जोड़ी ट्रेनों के सभी एसी कोच, पावरकार एवं पेंट्रीकार में यह सिस्टम लग चुका है। इस सिस्टम के अतिरिक्त सभी पावर कार, पैंट्री कार तथा एसी कोचों में अग्नि शमन यंत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480